

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक- 05-10-18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय औषधालय, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उन्नयन (Upgrade) हेतु रुपये 55,26,000/- (पचपन लाख छब्बीस हजार रुपये) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्रांक-2656, दिनांक-12.09.2018 से राजकीय औषधालय, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के Upgradation का प्रावधान है, जिसमें पुराने लोहे के खिड़की के स्थान पर UPVC window, Vitrified Flooring, False ceiling with 2 feet x 2 feet light, Renovation of existing toilet, Leak repair of roof Upgradation of registration counter and Supply of Medical/Non Medical furniture तथा ECG Machine का प्रावधान किया गया है। उक्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय औषधालय, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उन्नयन (Upgrade) हेतु रुपये 55,26,000/- (पचपन लाख छब्बीस हजार रुपये) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

(2) उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSIC) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगा:-

- (i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नहीं कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।
- (ii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।
- (iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।
- (iv) कार्य का सखन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे।
- (v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (vi) निगम के संबंधित अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय।

(3) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं०-20 के अंतर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0104-शहरी क्षेत्र में राजकीय औषधालय का निर्माण, विपत्र कोड-20-4210010510104, विषय शीर्ष-(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

(4) इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म संख्या-46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी०एल० खाता संख्या-PLA-244 एवं विपत्र कोड-K8448001110002 में सुलभ करायेंगे ।

- (5) बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण विवरणी (Plus-Minus Memoranda) माहवार तथा एतदसंबंधी डी0सी0 विपत्र छः माह के अन्दर सुलभ करायेंगे ।
- (6) राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि0(2), दिनांक-17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक-27.11.2007 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।
- (7) राशि की निकासी उपर्युक्त कंडिका-3 के मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष में उपबंधित राशि से की जायेगी ।
- (8) राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार, पटना से की जायेगी ।
- (9) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
- (10) प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।
- (11) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-10/विविध-17-22/2003 के पृष्ठ-149/टि० में प्राप्त है ।
- (12) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है । आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक:- 639 (10)

/स्वा0, पटना, दिनांक:- 05-10-18

प्रतिलिपि- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, अस्पताल रोड, शास्त्रीनगर, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/सिविल सर्जन, पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय औषधालय, माननीय उच्च न्यायालय, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य विभाग/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-10/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।